

व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता पाने के लिए

प्रार्थना-पत्र का प्रारूप

कृषि उत्पादन मण्डी समिति....., जिला.....

1. दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का नाम व्यवसाय _____
पिता/पति का नाम _____
2. दावेदार का नाम _____
पिता/पति का नाम _____
दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति से सम्बन्ध _____
3. दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का पता _____
4. आयु _____
5. उOप्रO में निवास की अवधि _____
6. दुर्घटना का कारण _____
7. समय एवं तिथि _____
8. दुर्घटना के स्थान का पूर्ण विवरण _____
9. दुर्घटना की सूचना देने की तिथि तथा
अधिकारी का नाम _____
10. यदि मण्डी समिति के यार्ड/सब यार्ड
के परिसर में दुर्घटना हुई है तो उसका
पूर्ण विवरण तथा पुष्टि _____
11. दुर्घटना की प्रकृति तथा चिकित्सक
का विवरण/नाम _____
12. शारीरिक क्षति या मृत्यु का विवरण
(शव विच्छेदन प्रमाण-पत्र/क्षतिग्रस्त
अंगों के साथ) _____
13. मण्डी समिति के सचिव को सूचित
करने तथा समस्त दावा पत्र देने की तिथि _____
14. प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र/सरकारी
अस्पताल में चिकित्सा कराने का
(प्रमाण-पत्र सहित) _____

विवरण तथा प्रमाण-पत्र

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर अथवा निशानी अँगूठा

अंगुली का निशान निकट सम्बन्धी,

दावेदार के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती के सम्बन्ध

में प्रारूप में दिया विवरण सही है। दिनांक

प्रार्थी के निकटस्थ दो रिश्तेदारों द्वारा सत्यापित

1- नाम पता सहित

2- नाम पता सहित

संलग्नक : 1- शव विच्छेदन प्रमाण-पत्र/क्षतिग्रस्त अंग के फोटो के साथ

2- प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0)

3- चिकित्सा प्रमाण-पत्र।

दुर्घटना/मृत्यु प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री

..... पुत्र श्री

आयु वर्ष 30 प्र0 में वर्ष से निवास करते है। इनकी

मृत्यु/अंग विच्छेदन दिनांक: को

..... कारण के कृषि कार्य करते हुए

..... स्थान पर हुई है यह किसी ठेकेदार अथवा व्यवसायी

प्रतिष्ठान के वास्ते/स्वयं व्यवसायिक की भाँति कोई कार्य नहीं कर रहा था।

तिथि

सचिव/समापति

मण्डी समिति

प्रतिभूति का प्रारूप

मैं/हम पुत्र श्री
 आयु.....वर्ष, निवासी.....
 को कृषि उत्पादन मण्डी समिति
 जनपद..... सचिव श्री द्वारा
 मेरे/हमारे व्यक्तिगत दुर्घटना के लिए सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के
 अन्तर्गत वित्तीय सहायता दिए जाने सम्बन्धी बीमा सुविधा के अन्तर्गत
 रु० मात्र को वित्तीय सहायता प्रदान की जा
 रही है। अतः मैं/हम इकरार करते हैं कि इस सम्बन्ध में हमारा दावा किसी स्वार्थवश लाभ
 प्राप्त करने अथवा धोखा देने अथवा तथ्यों या साक्ष्यों को छिपाकर या तोड़ मरोड़कर
 प्रस्तुत करने के अन्तर्गत दोषी पाया गया तो मण्डी परिषद को यह अधिकार होगा कि वह
 मुझे/हमें प्रदान की गयी उपरोक्त वित्तीय सहायता की पूर्ण धनराशि 13 प्रतिशत ब्याज
 के साथ वसूल कर ले तथा समस्त धनराशि मेरे/हमारे ओर से मण्डी परिषद को देय
 धनराशि के रूप में समझी जाएगी जिसे मण्डी परिषद, मण्डी अधिनियम 1964 की
 धारा-20(1) के विहित विधिक प्राविधानों के अनुसार वसूल करने का अधिकार होगा
 अथवा किसी भी रीति से वसूल करने की अधिकारी होगी तथा विधि के अन्तर्गत अन्य
 कार्यवाही जो मण्डी परिषद आवश्यक समझे, की जायेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा या
 अंगुली का निशान

निकट सम्बन्धी/दावेदार के हस्ताक्षर

दो साक्षियों के हस्ताक्षर

1- हस्ताक्षर
 नाम.....
 पता.....

2- हस्ताक्षर
 नाम.....
 पता.....

जॉच आख्या व भुगतान हेतु संस्तुति

विभागीय संस्तुति दावा रुपये.....
 हेतु पारित किया जा सकता है। दिनांक : दावा पारित
 रूपया.....

दिनांक :

हस्ताक्षर